जर्जर मकानों को खाली कराने के विरोध में प्रदर्शन, नारेबाजी

नवभारत संवाददाता

भोपाल, 7 जुलाई. कलेक्टर कार्यालय में मंगलवार को जनसुनवाई हुई, जिसमें जिलेभर से 178 लोग समस्याओं के आवेदन लेकर पहुंचे. इस दौरान कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला ऐशबाग क्षेत्र के लगभग 50 लोगों के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचे. वे जर्जर मकानों खाली कराने और तोड़ने कराने का विरोध कर रहे थे.

शुक्ला का कहना है कि मकान तोड़ने के पहले रहवासियों के रहने की उचित की व्यवस्था की जाए. अधिक भीड़ होने के कारण एडीएम सुमित कुमार पांडे जनसुनवाई कक्ष से बाहर मुख्य द्वार पर पहुंचे और लोगों की समस्याएं सुनीं. इस दौरान पीड़ितों ने विस्थापन का विरोध करते हुए कलेक्टर कार्यालय के सामने नारेबाजी और प्रदर्शन किया.शुक्ला ने ऐशबाग से आए रहवासियों की समस्याओं से अवगत कराते हुए प्रशासन को आवेदन सौंपा. एडीएम पांडे ने आश्वासन दिया कि उनकी समस्याएं कलेक्टर के समक्ष रखी जाएंगी. गौरतलब है कि नगर निगम द्वारा कराए गए सर्वे में ऐशबाग स्थित जनता क्वार्टर को अत्यंत जर्जर घोषित करते हुए उसे गिराने के नोटिस जारी किए गए हैं. इसके बाद हाउसिंग बोर्ड ने भवनों को ध्वस्त करने की तैयारी शुरू कर दी है और यहां रहने वाले लगभग 600 परिवारों को अन्यत्र शिफ्ट होने के निर्देश दिए हैं. इस मामले में कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने हाउसिंग बोर्ड को रहवासियों की समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए हैं. इस दौरान एडीएम सुमित कुमार पांडे, एडीएम महेंद्र कवचे, प्रकाश नायक, पी.सी. शाक्य तथा जिला पंचायत सीईओ इला तिवारी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे.

जनसुनवाई में रिंकी नामक छात्रा ने स्टेट लॉ कॉलेज में प्रवेश दिलाने की मांग की.छात्रा ने बताया कि उनकी माता लंबे समय से गैस्ट्रिक अल्सर, उच्च रक्तचाप और मधुमेह से पीड़ित हैं. उनकी देखभाल में अधिक समय देने के कारण वह स्नातक में 69.04 प्रतिशत अंक ही प्राप्त कर सकीं. कम अंक होने के कारण उन्हें स्टेट लॉ कॉलेज में प्रवेश नहीं मिल पा रहा है. छात्रा ने कलेक्टर से विशेष सहायता की मांग की.

5 मकान और दुकानें बचाने की लगाई गुहार

शहर में मेट्रो रेल परियोजना का कार्य तेजी से चल रहा है. इसके तहत रोशनपुरा क्षेत्र में वर्षों पुराने मकानों और दुकानों का प्रशासन द्वारा चिन्हांकन किया गया है. कुछ लोगों ने अपने निर्माण हटा भी लिए हैं. वहीं प्रहलाद प्रजापति और उनके परिवार ने जनसुनवाई में आवेदन देकर बताया कि वे रोशनपुरा स्थित मकान क्रमांक 1474 (1473) में पिछले 80 वर्षों से रह रहे हैं. वर्तमान में उनके परिवार के तीन सगे भाई तथा माता-पिता इसी मकान में निवास करते हैं. उनका कहना है कि पहले केवल मकान के सामने बनी दुकानों का दो से तीन मीटर हिस्सा ही मेट्रो परियोजना की जद में था, लेकिन अब मेट्रो अधिकारियों ने पूरे मकान को ही चिन्हित कर दिया है. परिवार ने कलेक्टर से उनके मकान को बचाने की गुहार लगाई.

किसान केन में ले सकेंगे 100 लीटर डीजल

भोपाल. कलेक्टर प्रियंक मिश्रा के निर्देश पर एडीएम प्रकाश नायक ने आदेश जारी किया है कि किसान प्लास्टिक की केन में 100 लीटर तक डीजल खरीद सकेंगे. इसके साथ ही अस्पतालों तथा अन्य अति आवश्यक सेवाओं से जुड़े संस्थानों में डीजल से संचालित होने वाले जनरेटरों के लिए भी प्लास्टिक की केन में डीजल उपलब्ध कराया जा सकेगा. यह आदेश भोपाल जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को जारी किया गया है. खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आयुक्त ने 16 जून को किसानों के लिए खरीफ फसलों, अत्यावश्यक सेवाओं तथा महत्वपूर्ण परियोजनाओं हेतु डीजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आदेश जारी किया.

3 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निरस्त

- बिना फार्मासिस्ट और पर्ची के दवाएं बेच रहे थे संचालक

21 मेडिकल स्टोर को कारण बताओ नोटिस जारी

नवभारत प्रतिनिधि

भोपाल, 7 जुलाई. राजधानी में अवैध रूप से दवाएं बेचने और नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले मेडिकल स्टोर संचालकों के खिलाफ खाद्य और औषधि प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है.

विभाग की टीम द्वारा किए गए औचक निरीक्षण में गंभीर कमियां पाए जाने पर 32 मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ कड़े कदम उठाए गए हैं. इनमें से 3 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस हमेशा के लिए समाप्त कर दिए गए हैं. जबकि 8 के पंजीयन निलंबित किए गए हैं. साथ ही 21 संचालकों को कारण बताओ नोटिस थमाया गया है. गौरतलब है कि कलेक्टर प्रियंक मिश्रा के कड़े निर्देशों के बाद औषधि निरीक्षकों की टीम लगातार मैदान में है.

इन स्टोर्स के लाइसेंस हमेशा के लिए निरस्त

प्रशासन द्वारा की गई इस प्रभावी कार्रवाई में आनंद नगर स्थित शोवा मेडिकल और हताईखेड़ा स्थित तिरुपति मेडिकल स्टोर का लाइसेंस पूरी तरह निरस्त कर दिया गया है. यह दोनों स्टोर बिना फार्मासिस्ट के ही दवाएं बेच रहे थे. इसके अलावा आनंद नगर स्थित श्रीराम ट्रेडर्स को बिना डॉक्टर के पर्चे (प्रिस्क्रिप्शन) के सीधे शेड्यूल एच-1 ड्रग बेचते हुए पकड़ा गया. जिसके बाद इसका लाइसेंस भी तत्काल प्रभाव से खत्म कर दिया गया है। जिसके बाद अब इन दुकानों में दवाओं की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी. वहीं जांच के दौरान बिना फार्मासिस्ट के दवा बेचने पर 5 मेडिकल स्टोर्स और बिना चिकित्सकीय सलाह के शेड्यूल एच दवाएं बेचने पर 3 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं.

गड्ढों में जलभराव से हादसों की आशंका

भोपाल. मैदा मिल रोड पर भारी बारिश के चलते सड़क पर हुए गड्ढों में जलभराव हो गया है. इस मार्ग पर चलने वाले वाहन चालकों को इन दिनों परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. गड्ढों से हादसों की आशंका बनी रहती है.

युवक ने फांसी लगाकर की खुदकुशी

भोपाल. पिपलानी इलाके में एक युवक ने अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली. खुदकुशी के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है. मर्ग कायम कर पुलिस जांच कर रही है. जानकारी के मुताबिक पटेल नगर निवासी सोनू सोनी (24) अपने दो भाइयों के साथ रहता था. मकान के पहली मंजिल पर सोनू को एक कमरे में फांसी के फंदे पर लटकता देखकर उसके भाइयों ने अस्पताल पहुंचाया. अस्पताल में डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मौके पर पुलिस को सुसाइड नोट भी बरामद नहीं हुआ. परिजनों को भी सोनू के आत्महत्या करने का कारण समझ नहीं आया.

पीएफआई के 9 सदस्यों की जमानत निरस्त

- जिला अदालत में हुई सुनवाई

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 7 जुलाई. देश विरोधी गतिविधियों मे संलिप्त पीएफआई के 9 सदस्यों की जमानत न्यायालय ने मंगलवार को निरस्त कर दी. संभागीय जनसंपर्क अधिकारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि न्यायालय डॉ.मुकेश मलिक विशेष न्यायाधीश (एनआईए) द्वारा थाना एटीएस/ एटीएफ विरूद्ध अब्दुल करीम बैकरीवाला व अन्य के मामले में आरोपी अनवर खान, ख्याजा हुसैन, मोह शमशाद, इमरान हुसैन, आबिद खान, इशांक खान, मो. युसैफ मौलानी, मोहसिन कुरैशी, नासिर नंदवी की जमानत निरस्त की गई है.

प्रकरण में विशेष लोक अभियोजक विक्रम सिंह एवं मनोज त्रिपाठी ने पैरवी की. साल 2022 के प्रकरण में अब्दुल करीम बैकरीवाला एवं अन्य 21 आरोपी द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों मे पीएफआई संगठन के पदाधिकरी होते हुये भारत सरकार के विरुद्ध आंतकवादी गतिविधियों का आपराधिक षडंयत्र करते हुये देश के विभिन्न शहरों मे ट्रेनिंग कैंप कराये गये थे, जिसमें सदस्यों को दुश्मनों को मारने के लिये शरीर के विभिन्न नाजुक अंगों पर हमला करने की ट्रेनिंग दी गई थी. साथ ही उनके पास से विभिन्न प्रकार की आंतकी गतिविधियों से संबंधित दस्तावेज जब्त किये गये थे. उनके द्वारा भारत की वतर्मान संघीय सरकार को उखाड़ फेंककर इस्लामिक शासन वर्ष 2047 तक स्थापित करने का उद्देश्य शामिल था.

बिजली बिल अपडेट कराने के नाम पर ढाई लाख ठगे

भोपाल. मिसरोद इलाके में बैंक से रिटायर्ड धनराज नंदनबार के साथ ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है. ठग ने बिजली का बिल अपडेट करने के नाम पर बुजुर्ग को झांसे में लिया और उनसे करीब ढाई लाख रुपए की ठगी कर ली. बगली रोड स्थित कॉलोनी निवासी धनराज के मोबाइल पर कुछ दिन पहले बिजली के बिल को अपडेट करने का एक मैसेज आया. मैसेज में दिए गए नंबर पर संपर्क करने को कोकहा. कालर ने खुद को बिजली विभाग का कर्मचारी है. बिल जमा करने की प्रक्रिया की बात बताते हुए साइबर ठग ने धनराज को वॉट्सएप नंबर पर एक लिंक भेजी. धनराज से लिंक क्लिक कर फार्म भरने को कहा. ठग ने इस दौरान धनराज से क्रेडिट कार्ड का नंबर भी उसी फार्म में भरवा लिया. अगले दिन बैंक सेखाते से 2 लाख 55 हजार रुपए की कटौती का मैसेज आया.

जेपी अस्पताल में ओपीडी में जाने वाला मार्ग खुला

फिसलन और कीचड़ वाले रास्ते से जा रहे स्टॉफ और मरीज

जेपी में ओपीडी के मुख्य मार्ग पर फाटक बंद

खबर का असर

नवभारत प्रतिनिधि

भोपाल, 7 जुलाई. जयप्रकाश जिला अस्पताल में बीते दिनों ओपीडी में जाने वाले मार्ग को वाहनों की पार्किंग रोकने के नाम पर बंद किया गया था.

इसके बाद अस्पताल के स्टॉफ और मरीजों को फिसलन और कीचड़ भरे रास्ते से गुजरना पड़ रहा था. अस्पताल में स्टॉफ समेत इलाज कराने आये लोगों के गिरने और चोट लगने की संभावना बनी हुई थी. जिसको लेकर बीते दिनों नवभारत में लोगों को हो रही असुविधा को लेकर खबर प्रकाशित की गई थी. जिसके बाद अस्पताल प्रशासन ने मामले पर साकारात्मक कदम उठाते हुए ओपीडी मार्ग को जाने वाले मुख्य मार्ग को सभी के लिये खोल दिया है. साथ ही वाहनों की पार्किंग के लिये भी उचित व्यवस्था भी कर दी गई है.

परीक्षा नियंत्रक दायित्वों से मुक्त

- आरजीपीवी में प्रश्नपत्र चोरी का मामला
- परिसर में अभाविप ने 5 घंटे तक किया प्रदर्शन

नवभारत प्रतिनिधि

भोपाल, 7 जुलाई. राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में बीते दिनों प्रश्नपत्र चोरी मामले को लेकर मंगलवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 5 घंटे कर प्रदर्शन किया. परिषद ने इस पूरे मामले में दोषियों के विरुद्ध कठोर, निष्पक्ष और समयबद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा है.

दूसरी ओर प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने मामले पर कार्रवाई करते हुए परीक्षा नियंत्रक अर्चना तिवारी को उनके सभी दायित्वों से मुक्त कर दिया है. साथ ही परीक्षा कार्य से जुड़े संबंधित संविदा संकाय सदस्य और अन्य संबंधित अधिकारियों की भूमिका की विभागीय जांच प्रारंभ करने का निर्णय भी ले लिया है.

अभाविप ने परिषद ने मांग की कि जिन अधिकारियों की प्रशासनिक लापरवाही सामने आई है, उन्हें तत्काल निलंबित किया जाए. हालांकि परीक्षा नियंत्रक को दायित्वों से मुक्त होने को लेकर अभाविप ने फैसले का स्वागत किया है लेकिन प्रकरण में दोषी पाए जाने वाले प्रत्येक अधिकारी, कर्मचारी के विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की है.

अभाविप के भोपाल महानगर मंत्री आरती ठाकुर ने आरजीपीवी में प्रश्नपत्र चोरी जैसी घटना लाखों विद्यार्थियों के भविष्य के साथ सीधा खिलवाड़ बताया.

बेहटा क्षेत्र की शत्रु संपत्ति 30 एकड़ भूमि 30 लाख में बेची

- समाजसेवी अमिताभ अग्निहोत्री ने लगाया आरोप
- जांच के लिए ईओडब्ल्यू में की शिकायत

नवभारत संवाददाता

भोपाल, 7 जुलाई. भोपाल रियासत की भूमि को बेचने की जानकारी सामने आई है. बेहटा क्षेत्र में 30.55 एकड़ भूमि है, जिसे नवाब हमीदुल्ला खां की पाकिस्तानी दूसरी पत्नी आफताब जहां बेगम ने एग्रीमेंट के आधार पर 31 मई 1994 बेचा है.

करोड़ों रुपए की कीमत होने बाद इस भूमि को 30 लाख 55 हजार रुपए में बेच दिया गया. इसे बेचते समय विक्रेता ने अपने पाकिस्तानी होने की जानकारी छुपाई थी. यह संपत्ति उस समय भी शत्रु संपत्ति थी, जब यह भूमि बेची गई थी. उस समय शत्रु संपत्ति अधिनियम लागू था, तो फिर इसे किस आधार पर बेचने की अनुमति मिल गई. इस मामले को लेकर समाजसेवी अमिताभ अग्निहोत्री ने ईओडब्ल्यू में जांच के लिए दस्तावेजों के साथ ज्ञापन दिया.

पांच किस्तों में ली रकम

अमिताभ अग्निहोत्री ने बताया कि प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर जिसमें एग्रीमेंट किया गया, उसमें उल्लेख है कि 30.55 एकड़ भूमि को पांच किस्तों के तहत 30 लाख 55 हजार रुपए में बेचा गया.अनुबंध के समय 1 लाख 55 हजार चेक के माध्यम से प्राप्त किए. शेष 29 लाख रुपए एक साल में चार किस्तों में 7 लाख 25 हजार प्रत्येक 3 माह में लेना स्वीकार किया. इसकी जांच होना चाहिए.

भूमि की खरीदी-बिक्री कैसे हुई

अग्निहोत्री ने कहा कि भोपाल नवाब की दूसरी पत्नी पाकिस्तान निवासी आफताब जहां बेगम द्वारा करोड़ों रुपए की सैकड़ों एकड़ भूमि, जो शत्रु संपत्ति दायरे में आ सकती थी, इस भूमि की खरीदी-बिक्री कैसे हुई, इसकी जांच की जाना चाहिए.